न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

द्वितीय जमानत आवेदन संख्या–97/2026 संगणक पंजियन संख्या–1471/2026

UPGZ010033552026

आकाश उर्फ रोमित पुत्र ऋषिपाल, निवासी–सी–296, गली नं० 5, मुकद विहार, थाना–करावलनगर, दिल्ली----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजक पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–762/2020
धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–लोनी, गाजियाबाद

24.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–762/2020 धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–लोनी, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से माया देवी पत्नी ऋषिपाल सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है तथा अभियुक्त जमानत पर रिहा चला आ रहा था। अभियुक्त पूर्व नियत तिथि 13.06.2023 से पूर्व से ही बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, जिस कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत कर दिये। अभियुक्त एक अन्य मु०अ०सं० 159/2025, थाना–अंकुर विहार में जिला कारागार, गाजियाबाद में निरुद्ध होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अभियुक्त को न्यायालय में तलब किये जाने हेतु दिनांकः 18.10.2025 को अभियुक्त की ओर से एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में योजित किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर अभियुक्त को उक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया था। अभियुक्त को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त दैनिक मजदूर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। थाना हाजा की पुलिस ने धारा–50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त एक

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.03.24 17:04:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्मानित परिवार का सदस्य है। अतः जमानत की याचना की गयी।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय से जमानत पाने के उपरांत न्यायालय में अनुपस्थित रहा है, जिस कारण पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित नहीं हो सकी, अतः आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज करने की याचना की है।

6– उभयपक्ष के तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के परिशीलन से परिलक्षित है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त आकाश उर्फ रोमित तत्कालीन न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन सं० 4471/2020 में पारित जमानत आदेश दिनांकः 06.10.2020 के अनुसार हस्तगत दाण्डिक प्रकरण में जमानत पर था एवं दौरान विचारण मुकदमा अनुपस्थिति के कारण उसके विरुद्ध निर्गत गैर जमानतीय अधिपत्र के आधार पर कारागार में निरुद्ध है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष के सम्बंध में बिना कोई टिप्पणी किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी/अभियुक्त आकाश उर्फ रोमित की ओर से मु०अ०सं०–762/2020 धारा–8/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–लोनी, जिला–गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन सं०–97/2025, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अंकन 75,000/– रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय, सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i) आवेदक/अभियुक्त जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(v) आवेदक/अभियुक्त वाद के विचारण के दौरान साक्षियों से प्रतिपरीक्षा, कथन अन्तर्गत धाराः 313 दं०प्र०सं० तथा बहस के स्तर पर कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code– UP6480